

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी**  
**(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)**  
**पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :- 51/2020 अपील सू.प्र.

**उनवान**

राजकुमार सेन पुत्र कन्हैयालाल सेन निवासी शिव मन्दिर के पास, नाथ कुई पोस्ट बनेडा तहसील बनेडा

बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी केन्द्रिय अभिलेखागार भू अभिलेख जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005**

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

**निर्णय**

दिनांक : 18-9-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी केन्द्रिय अभिलेखागार भू अभिलेख जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 19.08.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 12.06.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी केन्द्रिय अभिलेखागार भू अभिलेख जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 11.09.2020 को पंजीबद्ध की जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी केन्द्रिय अभिलेखागार भू अभिलेख जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा द्वारा पत्रांक/भू.अ./रिकार्ड/सूकाअ/2020/69051-62 दिनांक 17.09.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार प्रत्यर्थी कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./रिकार्ड/सूकाअ/2020/69051-62 दिनांक 17.09.2020 से अपीलार्थी को आवेदन पत्र में लिखे निवास के पते पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना प्रेषित की गयी।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 18-9-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला कलक्टर  
प्रथम अपीलट अधिकारी  
भीलवाडा



१/१०/२०२०